राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक : एफ17(8)26 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / सत्यापन / 2020 /   दिनांक : 12/02/.2021

परिपत्र – 2

राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के प्रथम सत्यापन के कार्य हेतु तहसीलदार अधिकृत है तथा द्वितीय सत्यापन के कार्य हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी अधिकृत है। वर्तमान में दोनों प्रकार के सत्यापन हेतु 10–10 दिवस की समय सीमा निर्धारित है।

यह देखने में आ रहा है कि जिलों में प्रथम एवं द्वितीय सत्यापनों के लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण नही हो रहा है। इस कारण आमजन को कठिनाई हो रही है एवं अनावश्यक पत्राचार भी बढता जा रहा है। भविष्य में सत्यापन में लम्बित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्नानुसार प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापन की व्यवस्था रहेगीः–

सत्यापन का क्षेत्र	**सत्यापन की प्रस्तावित व्यवस्था**	
	सत्यापन का स्तर	
	प्रथम सत्यापन	**द्वितीय सत्यापन**
ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर)	ग्राम विकास अधिकारी	ब्लॉक विकास अधिकारी
शहरी क्षेत्र (जिला स्तर एवं अन्य शहरी निकाय)	नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त	उपखण्ड अधिकारी

सत्यापन की कार्यव्यवस्था निम्न प्रकार रहेगीः–

1. प्रथम स्तर सत्यापन :–
   I. ग्रामीण क्षेत्र :– ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा।
   II. शहरी क्षेत्र :– नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त द्वारा प्रथम सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा।
2. द्वितीय स्तर सत्यापन :–
   I. ग्रामीण क्षेत्र :– ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा द्वितीय स्तर पर सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में अनुलिपिकरण हेतु अग्रेषित किया जायेगा।
   II. शहरी क्षेत्र :– उपखण्ड अधिकारी द्वारा द्वितीय स्तर पर सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में अनुलिपिकरण हेतु अग्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव
एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)26 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / सत्यापन / 2020 / दिनांक :12/07/.2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयुपर।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
6. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
7. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
9. उप / सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त राजस्थान।
10. एस.ए. / एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
11. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
12. उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
13. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
आयोजना विभाग एवं
महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण